

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 1972/भाद्र 16, 1894

No. 232]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1972/BHADRA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September 1972

G.S.R. 403(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby directs that pending the framing of discipline, control and appeal rules for the Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioners and Regional Provident Fund Commissioners, the matters concerning the aforementioned officers in regard to discipline, control and appeal shall be regulated, *mutatis mutandis*, in accordance with the relevant provisions contained in the Employees' Provident Fund Staff (Classification, Control and Appeal) Rules, 1971.

[No. 48(23)/66-PF.I.]

P. M. NAYAK, Secy.

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 7 मितम्बर, 1972

सा० क० नि० 403 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1972 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त भविष्य-निधि उपायुक्तों और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के लिए अनुशासन, नियंत्रण और अपील नियमों के बनाए जाने तक अनुशासन, नियंत्रण और अपील के बारे में पूर्ववर्णित शर्तिकावियों से सम्बन्धित मामले, यथावश्यक परिर्वर्तन सहित कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारिवृन्द (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 में अन्तर्बिष्ट सुसंगत उपबन्धों के अनुसर विनियमित किए जाएंगे।

[संख्या 48/23/66-पी०एफ-1]

पी० एम० नायक, सचिव, ।